25.1.18 → पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। सुना गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मनोहरपुरा की जमाबंदी संवत् 2069-73, खाता सं. नया-पुराना 124-126, 214-194 तथा ग.ो.स. की जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं. नया-पुराना 69-66 में जो पुत्र मांगू जो मुसलमान के खाते में दर्ज है प्रार्थी का पिता अप्रार्थी सं. 1 है। दिनांक 12-3-16 को प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में अप्रार्थी बाधा उत्पन्न कर रहा है। अतः उसे पावन करने का निवेदन

किया।

मैंने पक्षों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी
विपक्षी मौजूद होने से दूरभाष वार्ता से मौखिक रूप से प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता
है कि वो मौके पर निर्माण की यथास्थिति बनाये रखे।
विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है
कि वो मौके पर निर्माण की यथास्थिति बनाये रखे।
अग्रिम कार्यवाही अगली तारीख पर होगी।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)